

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड
विज्ञप्ति

29 नवम्बर, 2025 ई०

पत्रांक-867/तीन-94/चक० सं०/2024-25-उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-3, देहरादून के शा०सं०-776/XVIII(3)/2025-03 (10)/2016, दिनांक 19 नवम्बर 2025 से प्राप्त अनुमति के क्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ०प्र०अधिनियम संख्या-5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा-6 की उपधारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या-83/31-A-813-1954-Rev(A) दिनांक 19 अक्टूबर 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, रंजना राजगुरु, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून जनपद हरिद्वार, परगना गोरधनपुर, तहसील लक्सर के सम्बन्ध में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4 (2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-159/मु०रा०आ०(चक०), दिनांक 08 मई 2003 में आंशिक संशोधन करते हुये तहसील हरिद्वार के निम्नलिखित ग्राम को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करते हुये ग्राम की विज्ञप्ति को एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

क्र०सं०	ग्राम का नाम	तहसील	परगना	जनपद
1	2	3	4	5
1-	मन्सूरपुर उर्फ कपूरों	लक्सर	गोरधनपुर	हरिद्वार

रंजना राजगुरु,
आयुक्त एवं सचिव/
संचालक, चकबन्दी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 06-12-2025, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 01 राजस्व/22-19-01-2026-110 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)